भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

91AB 679964

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

91AB 679965

यह अनुरक्त ... [illegible]

[illegible]

... फाइल नं० [illegible] 40758

[illegible]

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश, आगरा

[illegible signature]

उप निबन्धक

[illegible]

आगरा

20/8/13

संशो०स्मृति पत्र

1–संस्था का नाम– मनमोहन मैनेजमेन्ट सोसाइटी फार एजूकेशन रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट।

2–संस्था का पता– श्याम गन हाउस मैन चौराहा पटियाली कासगंज।

3–संस्था का कार्यक्षेत्र– समस्त उत्तर प्रदेश।

4–संस्था के उददेश्य–

1– लोगों का सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, शारीरिक, शैक्षिक एवं बौद्धिक विकास करना।

2– निर्धन तथा असहाय छात्र, छात्राओं एवं महिलाओं एवं कारीगरों को ग्रामोद्योग एवं प्रबन्ध आदि की शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिलाने का प्रबन्ध करना।

3– समिति के उददेश्य कार्यक्षेत्र के ग्रामों में स्वालम्बन की भावना उत्पन्न करते हुए क्षेत्र का सामाजिक व शैक्षिक विकास करना।

4– विद्यालय, नर्सरी, जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर, बी. टी.सी., बी.एड., छात्रावास, पुस्तकालय, वाचनालय, संग्रहालय, व्यायामशाला, निशुल्क चिकित्सालय, प्रयोगशाला, जिससे जनता का बहुमुखी विकास हो सके, की स्थापना करना।

5– महिला विकास कार्यक्रम तथा प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना।

6– औद्योगिक प्रबन्ध विचाराधारा के अन्तर्गत साहित्य प्रचार व प्रसार करना लोगों का रचनात्मक जीवन की ओर अग्रसर करना।

7– विपणन, प्रबन्ध एवं अन्य सम्बन्धित आर्थिक एवं सामाजिक विषयों पर शोध करना।

8– विपणन, प्रबन्ध प्रशिक्षण, शोध एवं विचार विमर्श से सम्बन्धित सुविधायें प्रदान करना।

9– विपणन प्रबन्ध एवं अन्य औद्योगिक विषयों पर शिक्षा प्रदान करना।

10– विपणन एवं प्रबन्ध से सम्बन्धित विचारधाराओं के प्रचार हेतु प्रकाशन करना।

11– समय–समय पर सॉंस्कृतिक कार्यक्रम विचार, गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन, खेलकूद प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, जागरूकता शिविर आदि का आयोजन व संचालन करना।

12– पर्यावरण संरक्षण नशा उन्मूलन परिवार कल्याण स्वास्थ्य कल्याण, ऊसर बंजर भूमि सुधार, टीकाकरण, वृक्षारोपण, दहेज उन्मूलन, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण इत्यादि राष्ट्रीय कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार एवं संचालन करना।

13– समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, अवार्ड, नवार्ड, सिडवी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, डवाकरा, सिप्सा, सैफ इण्डिया, नौराड, सूडा, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, सरकारी, अर्धसरकारी संस्थाओं एवं समाजसेवी संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही

सत्य प्रतिलिपि

उप निबंधक

फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

आगरा मं० प०, आगरा

20-8-13

योजनाओं के अन्तर्गत कल्याणी कार्यक्रमों एवं महिला व बाल विकास कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार व संचालन करना।

14– लोगों में आपसी सदभाव, राष्ट्रप्रेम, देश सेवा समाजसेवा, सदाचार, एवं कर्तव्य परायणता की भावना जाग्रत करना।

15– समाज के दलितों, पिछडे एवं अल्पसंख्यकों, निर्धनों, अनुसूचित जातियों जनजातियों तथा कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान एवं विकास हेतु कार्य करना।

16– समाज के मूक बधिरों विकलांगों, नेत्रहीनों, विधवाओं, वृद्धों एवं निराश्रित्रों के कल्याण व पुनः उत्थान हेतु कार्य करना।

17– मलिन बस्तियों एवं वहाँ के निवासियों की स्थिति में सुधार करने हेतु विभिन्न विकास कार्यक्रमों का आयोजन व क्रियान्वयन करना।

18– प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति योग, आक्यूपंचर आदि को प्रोत्साहन देना तथा शोध केन्द्रो की स्थापना करना तथा उनका प्रचार प्रसार करना।

19– अपराधी प्रवृत्ति को समाज में उपयुक्त दिलाकर उन्हे रोजगार आदि की समुचित व्यवस्थाएँ कराना।

20– महिलाओं को सिलाई, कताई, बुनाई व शिल्पकला संगीत तथा हस्तशिल्प एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण दिलाकर उन्हे स्वायलम्बी बनाना।

21– समाज में स्वरोजगार की भावना फैलाना तथा इस हेतु उन्हे प्रशिक्षत करना व्यवसायिक शिक्षण की स्थापना कुटीर उद्योग व ग्रामीण शिल्प व कौशल का सुधार एवं निर्माण विपणन व्यवस्था के साथ ही उनमें सहभागिता व सहकारिता का प्रचार प्रसार करना। सर्वांगीण विकास हेतु प्रयास करना ताकि गाँव में शहरों की ओर पलायन रोका जा सके।

22– दैवी आपदाओं जैसे बाढ, सूखा, अग्निकाण्ड, भूकम्प एवं जानलेवा बीमारियों के समय पीडितों की हर सम्भव सहायता करना तथा सेवा शिविरों का संचालन करना।

23– खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड उ० प्र० अखिल भारतीय खादी आयोग की प्रवृत्ति व पेटर्न के अनुसार ग्रामोद्योगों की स्थापना प्रचार प्रसार एवं संचालन करना।

2

सत्य प्रतिलिपि

उप निबंधक

फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

5–प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पता, पद एवं व्यवसाय दिये गये है जिन्हें कि नियमानुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया है–

क्रम सं0 नाम	पता	पद	व्यवसाय
1–श्री रामनंदन सिंह पुत्रश्री ताहर सिंह	न्यू कालोनी पटियाली कासगंज	अध्यक्ष	व्यापार
2–श्री सुखदेव सिंह पुत्रश्री रामलडैते सिंह	ग्रा0 पटसुआ पो0 जासमई जिला एटा	उपाध्यक्ष	अध्यापक
3–श्री रामविलास सिंह पुत्रश्री ताहर सिंह	श्याम गंज [illegible] चौराहा पटियाली कासगंज	महासचिव	व्यापार
4–श्रीमती कुसुमा यादव पुत्रीश्री करन सिंह	न्यू कालोनी पटियाली कासगंज	सदस्य	गृहणी
5–श्री मनमोहन सिंह पुत्रश्री रामविलास सिंह	ग्रा0 पटसुआ पो0 जासमई जिला एटा	सदस्य	अध्यापक
6–श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्रश्री हुकुम सिंह	ग्रा0 नगला लक्मी पो0 शेखपुरा जिला एटा	सदस्य	नौकरी
7–श्री सत्यवीर सिंह पुत्रश्री जमादार सिंह	ग्रा0 पटसुआ पो0 जासमई जिला एटा	सदस्य	व्यापार
8–श्री विजेन्द्र सिंह पुत्रश्री अमार सिंह	ग्रा0 विरामपुरा पो0 कगरोल जिला एटा	सदस्य	व्यापार
9–श्रीमती सरला देवी पत्नीश्री ताहर सिंह	263 शिवपुरी एटा	सदस्य	गृहणी

6–हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता घोषित करते है कि उक्त स्मृति–पत्र एवं संलग्नक नियमावली के अनुसार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधि0–21 सन्1860 के अर्न्तगत एक समिति का पंजीयन करना चाहते है ।
दिनॉक–15–8–2013

रामविलास सिंह सुखदेव सिंह विजेन्द्र सिंह

रामनन्दन सिंह मनमोहन सिंह कुसुमयादव

सरलादेवी

सत्यवीर सिंह वीरेन्द्र सिंह

सत्य प्रतिलिपि

संशो0नियमावली

1–संस्था का नाम– मनमोहन मैनेजमेन्ट सोसाइटी फार एजूकेशन रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट।

2–संस्था का पता– श्याम गन हाउस मैन चौराहा पटियाली कासगंज।

3–संस्था का कार्यक्षेत्र– समस्त उत्तर प्रदेश।

4–संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग–

आजीवन सदस्य– जो व्यक्ति संस्था को निस्वार्थ भाव से एक बार में 1001/–रूपया नगद याद इतने की सम्पत्ति अचल रूप में प्रदान करेगा वह संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा।

सामान्य सदस्य– जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु 100/– रूपये वार्षिक चन्दा प्रदान करेगे यह संस्था के सामान्य सदस्य बनाये जायेगे।

5–सदस्यता की समाप्ति–

1–मृत्यु हो जाने पर।
2–पागल या दिवालिया हो जाने पर।
3–संस्था के प्रति हानि या अहित सम्बन्धी कोई कार्य करने पर।
4–अनैतिक कार्य में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
5–अविश्वास प्रस्ताव या त्याग पत्र पारित होने पर।
6–नियमित रूप से सदस्यता शुल्क अदा न करने पर।
7–लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थिति होने पर।

6–संस्था के अंग– अ– साधारण सभा
ब–प्रबन्धकारिणी समिति।

7–साधारण सभा–

गठन– संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

बैठके– साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार होगी और विशेष बैठक कभी भी आवश्यकता पड़ने पर बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि– साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व की जायेगी।

गणपूर्ति– साधारण सभा तथा विशेष बैठक के लिए कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति के लिए पर्याप्त होगी। स्थगित बैठक का कोरम 1/3 होगा।

.विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि–

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों की राय से तय की जायेगी।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य–

1–प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
2–संस्था की वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
3–संस्था का वार्षिक बजट पास करना।
4–आवश्यकता पड़ने पर प्रबन्धसमिति के निर्णय पर पुर्नविचार करना।

8–प्रबन्धकारिणी समिति–

गठन– साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा जिसमें अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष एक, महासचिव एक, कोषाध्यक्ष एक,

सत्य प्रतिलिपि

सदस्य पाँच होगें इस प्रकार कुल संख्या–9 होगी। आवश्यकतानुसार सदस्य संख्या बढ़ाई या घटाई भी जा सकती है।

बैठकें– प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकें साल में चार बार होगी और विशेष बैठक कभी भी आवश्यकता पड़ने पर बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि– प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकों की सूचना 7 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 24घण्टे पूर्व सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेगी।

गणपूर्ति– प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति के लिए 2/3 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी परन्तु गणपूर्ति के अभाव में एक बैठक स्थगित होने पर पुनः बुलाई गयी दूसरी बैठक के लिए गणपूर्ति का कोई प्रतिबन्ध होगा।

रिक्त स्थान की पूर्ति–प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत कोई भी आकस्मिक सीन रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य–

1–संस्था की उन्नति के लिए आवश्यक कार्य करना।
2–संस्था की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
3–संस्था की वार्षिक बजट तैयार करना।
4–उददेशों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, स्थानीय निकायों, दानशील व्यक्तियों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, सरकारी, अर्द्धसरकारी विभागों, समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, अवार्ड, नाबार्ड, सिडवी, मानव संस्थान विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, डवाकरा, सिप्सा, सैफ इण्डिया, नौराड, सूडा, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग कमीशन, बैकों एवं अन्य वित्तीय श्रोतों से ऋण अनुदान एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना।

नोट–सदस्यों का दायित्व–

संस्था किसी भी विभाग जैसे उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग आयोग तथा वित्तीय विभागों द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त करती है तो उसकी सुरक्षा एवं अदायगी संस्था के लिए सदस्य सामूहिक एवं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें चाहे वह सदस्यता से पृथक हो जायें परन्तु उनका उत्तरदायित्व बना रहेगा।

कार्यकाल– प्रबन्धकारिणी का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।

9–प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य–
अध्यक्ष–

1–समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।
2–बैठकों के लिए दिनॉक का अनुमोदन करना।
3–परिवर्तन करना और बैठकों को स्थगित करना।
4–समान मत होने पर निर्णायक मत देना।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा
20.8.13

उपाध्यक्ष— अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करना और उसके कार्य में सहयोग प्रदान करना।

महासचिव—

1—संस्था का कार्य मुख्य कार्यपालक के रूप में करना।
2—प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
3—पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति देना।
4—समस्त बिल एवं वाउचरों पर हस्ताक्षर करना।
5—बैठकों की सूचना सदस्यों को लिखित रूप में देना।
6—बैठकों की कार्यवाही लिपिबद्ध करना एवं सुनना।
7—ऋण अनुदान देने लेने सम्बन्धी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना।
8—कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति एवं वेतनवृद्धि करना।
9—समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में 1000/— रूपयें तक व्यय करने का अधिकार होगा।
10—संस्था की ओर से समस्त अदालती कार्यवाही करना।
11—संस्था के आडिट की व्यवस्था करना।
12—सदस्यों की सदस्यता के लिए स्वीकृति देना।
13—संस्था के सभी अभिलेख एवं प्रपत्र सुरक्षित रखना।
14—संस्था के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना।

कोषाध्यक्ष—

1—आय व्यय का लेखा जोखा रखना।
2—महासचिव द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।
3—100.00 रूपये तक नगद कोष रखना।

10—संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रकिया—
साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा संस्था के नियमों में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन किया जायेगा।

11—संस्था का कोष—
संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जो महासचिव के हस्ताक्षर से निकाला जायेगा।

12—संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण आडिट—
संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।

13—संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व—
संस्था द्वारा होने वाली समस्त अदालती कार्यवाही की पैरवी मंत्री द्वारा की जायेगी या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

14—संस्था के अभिलेख—1—सदस्यता रजिस्टर 2—कार्यवाही रजिस्टर, 3—स्टाक रजिस्टर, 4—कैशबुक आदि।

15—संस्था के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनॉक 15-8-13 सत्यप्रतिलिपि हस्ताक्षर

कुसुम भादव

रामविलास सिंह

सरला देवी

वीरेन्द्र सिंह

सत्य प्रतिलिपि

उप निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा मंडल, आगरा
20/8/13